

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:-प.2(97)DOIT&C/22/01922/2023

जयपुर, दिनांक 28/03/2023

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(1000)DOIT/ESTT/12/PART-III/01200/2021 दिनांक 04.03.2021 के द्वारा श्री कृष्ण लाल मीणा पुत्र स्व. श्री गंगासहाय मीणा (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद नियुक्ति दी गई थी श्री कृष्ण लाल मीणा, कनिष्ठ सहायक को जिन्होंने दिनांक 05.03.2021 (प्रथम कार्यग्रहण दिनांक) के पश्चात् अपने पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है ।

वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/ 2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण श्री कृष्ण लाल मीणा का कॉलम सं. 6 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद की नियमित वेतन श्रेखला पी.बी 1 (5200-20200) की ग्रेड पे-2400 (ग्रेड पे सं.-09) का शिड्यूल-1 (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-5 लेवल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 20800/- एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति के आदेश जारी किये जाते हैं :-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कृष्ण लाल मीणा, कनिष्ठ सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर	05.03.2021 (मध्याह्न पूर्व)	04.03.2023	05.03.2023

श्री कृष्ण लाल मीणा, कनिष्ठ सहायक की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2023 रहेगी।

— SP —
(विवेक कुमार)

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर ।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सू. प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
3. प्रशासनिक अधिकारी (भुगतान शाखा) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर ।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सू. प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
5. श्री कृष्ण लाल मीणा, कनिष्ठ सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर ।
6. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी